



14-00000 23-02-2020

समस्त प्रदेश राज्य विधायिकायतन अधिनियम-1952 (अप्रकाशित) द्वारा प्रदेश राज्य विधायिकायतन (विशेष) अधिनियम-1952 (अप्रकाशित) द्वारा प्रदेश अधिनियम संख्या 14 वर्ष 1952) की धारा 37(2) के अन्तर्गत राज्य सचिव सम्बन्धित कर्तव्य के अन्तर्गत दिनांक 14.07.1952 एवं विधायिकायतन अधिनियम की धारा 13 (क) के अन्तर्गत सुसंगत कर्तव्य के अन्तर्गत 14.07.1952 के अनुसूचन में वर्णित प्राधिकृत प्रतिष्ठान संस्थान, जयदीनपुर, गौरीगंज अमेठी की स्थापना कर यह शिक्षा संस्थान के अन्तर्गत विद्यार्थी सम्बन्धित एवं स्वायत्ततापूर्ण संयोजनकारी कर्तव्य किया जाने हेतु निर्णयित कर्तव्य के अन्तर्गत दिनांक 14.07.1952-53 के सम्बन्धी सम्बन्धित प्रदान की जाती है।

1. **समय / महाविद्यालय सासनादेश संख्या 2851/सतार-2-2003-15(82)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में निर्धारित**
सुसज्जित शिक्षा-विधिगत एवं इस विषय में समग्र-समग्र पर अन्य सुसज्जित सासनादेशों का प्रयोग करेंगी।
2. **समय / महाविद्यालय सुसज्जित को इस आदेश का प्रयोग प्रती एवं प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई**
सम्बद्धता की सभी महाविद्यालय नियमों पूरी रूप रहा है।
3. **समय / महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों/परीक्षित/परीक्षित/परीक्षित में निर्मित तथा सासना एवं विद्यार्थियों द्वारा**
निर्मित सभी एवं समग्र की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता की सुनिश्चित न किये जाने की दशा में समग्र राज्य विद्यार्थियों/परीक्षित
अभिधान 1973 के अधिनियमों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता सासना किये जाने की कार्यवाही निम्नानुसार की
जायेगी।
4. **समय / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सुसज्जितों के आधार पर जारी किया जा**
है। प्रमाणित प्रपत्रों/सुसज्जितों के अन्तर्गत किये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदान सम्बद्धता सतः समाप्त हो जायेगी।
5. **महाविद्यालय द्वारा मनकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का कार्योपलब्ध, आचार-कार्य, अनुसंधान एवं वेतन**
सुसज्जित का विवरण विद्यार्थियों/परीक्षितों को सम्बद्धता करने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा की परीक्षा यदि कार्य सम्पादित कराये जाये।
6. **प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सुसज्जित अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
7. **समय / महाविद्यालय द्वारा रिट अधिका संख्या-81858/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुसार**
मनकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/निर्णय के सम्बन्ध में निर्मित सासनादेश संख्या-822/सतार-2-2013-2(850)/2011
दिनांक 30 अक्टूबर 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
8. **समय / महाविद्यालय द्वारा प्रपत्र एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विद्यार्थियों/परीक्षित/परीक्षित/अध्यक्ष एवं सुसज्जित**
सासनादेश का सासना सुनिश्चित करेंगी।
9. **समय / महाविद्यालय द्वारा सासनादेश संख्या-421/सतार-1-2015-16(20)/2011, दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार**
प्रत्येक सुनिश्चित की जायेगी।
10. **समय / महाविद्यालय द्वारा मनकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।**

1994

100

प्रतिनिधि : निम्नलिखित का सूचनाम एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1. प्रत्येक मन्त्री कायस्थान्य इतिहास संस्थान, जयदीकपुर, श्रीराम, अनेटी।
2. जयस्थान्य, श्री ० राम मन्त्री इतिहास अथवा विज्ञानस्थान्य, अनेटी।
3. निजी जयस्थान्य, जयस्थान्य श्री ० राम मन्त्री।
4. इतिहास, इतिहासी ० राम श्री ० राम मन्त्री से प्रेषित है कि जयस्थान्य विज्ञानस्थान्य श्री ० राम मन्त्री पर अपलोड कर सकते हैं।
5. जयस्थान्य।

बलरानी

कृतकविता

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。